

डा. विनोद कुमार सिंह  
कुलसचिव  
Dr. Vinod Kumar Singh  
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत  
University of Lucknow  
Lucknow-226007(U.P)INDIA

**March 27, 2020**

### Office Memorandum

In light of the letter No. 591/sattar-1-2020 dated march 27, 2020 of the Principal Secretary, the Vice Chancellor has formed a committee of the following faculty members to ensure the compliance of the instructions given in it.

1. Prof. Poonam Tandon, Department of Physics
2. Prof. Audhesh Tripathi, Department of Commerce
3. Dr. Kiran Lata Dangwal, Department of Education

The committee members have to report the developments in this matter to the Vice Chancellor on March 28, 2020 evening.



**Dr. Vinod Kumar Singh**

#### Copy to:

1. PS to Honourable Vice Chancellor for information
2. Prof. Poonam Tandon, Department of Physics
3. Prof. Audhesh Tripathi, Department of Commerce
4. Dr. Kiran Lata Dangwal, Department of Education
5. Aforesaid members
6. Director IPPR for information to media
7. Director, UDRC for uploading this information on University website

प्रेषक,

मौनिका एस0 गर्ग,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—निदेशक,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
प्रयागराज।  
2—समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

3—कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय  
उत्तर प्रदेश

4—कुलसचिव,  
समस्त निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग—1

लखनऊ : दिनांक— 27 मार्च, 2020

विषय— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोविड 19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक व शिक्षणोत्तर कार्मिकों के लिये "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.03.2020 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित पत्र में शैक्षिक व शिक्षणोत्तर कार्मिकों के लिये "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें—

- 1— शिक्षण संस्थानों में संचालित परीक्षाएँ एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रखी जाय।
- 2—शिक्षण संस्थाओं के फॅकल्टी मेम्बर/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिनांक 14.04.2020 तक "वर्क फ्राम होम" की अनुमति दी जाय।
- 3— शिक्षण संस्थाओं के फॅकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा यथा—

- (क) आनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करना, आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन मूल्यांकन कार्य करना।
- (ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के लिये तैयार करना।
- (ग) शोध कार्य जारी रखना।
- (घ) अर्टिकिल, पत्र इत्यादि लिखना।
- (ङ) प्रश्न कोष के लिये नवाचारी प्रश्नों को तैयार करना।
- (च) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।

- 4— फॅकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एव संविदा शिक्षकों, जिनकी संविदा


दिनोंक 14.04.2020 तक वैध है, की उपरोक्त अविध सेवावधि के रूप में गणना की जायेगी।

5- जो छात्र, विशेष रूप से विदेशी छात्र छात्रावासों में अभी भी निवास कर रहे हैं, वे अपने छात्रावासों में रहेंगे और आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

6- फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र यथा मोबाइल नम्बर/ई मेल आदि अपनी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

  
( मोनिका एस0गर्ग )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-591(1)/सत्तर-1-2020 तददिनोंक

श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनोंक 21.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

( मोनिका एस0गर्ग )  
प्रमुख सचिव।